कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 340/MP/10 1963/THA/GH/2006-07 दिनांक 8/7/10

श्रीमति/श्री. मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा० लि०
द्वारा श्री सुनील मित्तल (डायरेक्टर)
501, निपुण टावर, प्लाट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर
कड़कड़डूमा - दिल्ली-92

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23-12-2006... के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की मोहल्ला/कालोनी/ग्राम 16 M/1/2 1056 m, पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1058m, 1060/1, 1724m, 1725m/2 1726m/1 ग्राम-अर्थला, लोनी

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वेघ है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सडक की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पुर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगीं।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एंव स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा। विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14-3-2007, 5-4-2007, 4-8-07, 7-7-10 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर पेड़ लगाना अनिवार्य हैं।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविघिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संचत्र की स्थापना करनी होगी

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरो पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है, जो डी०पी०सी० लेवल सिल्ल व प्रत्येक छत

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

संलग्नक :
1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपी :
1. अधि0 अधि0 नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित ।
1. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व) को सूचनार्थ।

सी0ए0टी0पी0
गाजियाबाद